सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/245** दायर दिनाँक **01.09.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. गजेन्द्रसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी फोगडी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. चैनसिंह पुत्र दीपसिंह 2. हडमानसिंह उर्फ हनुमानसिंह पुत्र दीपसिंह 3. राजेन्द्रसिंह पुत्र दीपसिंह 4. भंवर कंवर बेवा दीपसिंह 5. सुगनसिंह पुत्र धन्नेसिंह 6. मूल सिंह पुत्र धन्नेसिंह 7. सदा कंवर बेवा जयसिंह 8. रघुवीरसिंह पुत्र जयसिंह 9. रिछपालसिंह पुत्र जयसिंह 10. अर्जुनसिंह पुत्र गणपतसिंह 11. भींवसिंह पुत्र गणपतसिंह 12. जोरसिंह पुत्र गणपतसिंह 13. मानसिंह पुत्र कालूसिंह 14. फुलसिंह पुत्र कालूसिंह 15. शिवसिंह पुत्र कालूसिंह 16. कानसिंह पुत्र कालूसिंह 17. प्रकाश कंवर पुत्री कालूसिंह 18. गुमान कंवर पत्नी कालूसिंह 19. उम्मेदसिंह पुत्र बन्नेसिंह 20. फतेहसिंह पुत्र बन्ने सिंह 21. दुर्गाकंवर पत्नी भवानीसिंह 22. मनीषा कंवर पुत्री भवानीसिंह नाबालिंग सरंक्षक मरतर दुर्गा कंवर समस्त जाति राजपूत निवासीगण फोगडी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 23. प्रबन्धक यूको बैंक शाखा डीडवाना 24. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज

अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act. & 136 L.R.Act.

दिनाँक **05.02.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रामेश्वरलाल भाकर, वकील, वादी व श्री सुरेन्द्र पुरी वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 22 ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, वादग्रस्त भूमि की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती हैः–

1. वाके सरहद फोगडी के खसरा सं0 332 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 357 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 348 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण तथा खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से 17 बीघा 13 बिस्वा संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क ए से प्रदर्शित तथा खसरा सं0 172 रकबा 10 बिस्वा में से दक्षिण तरफ का हिस्सा 05 बिस्वा कुल रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा का वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 04 को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

2. वाके सरहद फोगडी के खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क बी के अनुसार 11 बीघा 06 बिस्वा का प्रतिवादी सं0 05 सुगनसिंह को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. वाके सरहद फोगडी के खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क सी के अनुसार 11 बीघा 06 बिस्वा का प्रतिवादी सं0 06 मूलसिंह को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. वाके सरहद फोगडी खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क जी व एफ के अनुसार 11 बीघा 06 बिस्वा का प्रतिवादी सं0 07 ता 12 को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. वाके सरहद फोगडी के खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क डी के अनुसार 11 बीघा 06 बिस्वा का प्रतिवादी सं0 13 ता 18 को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. वाके सरहद फोगडी के खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क ई के अनुसार 11 बीघा 06 बिस्वा व खसरा सं0 172 रकबा 10 बिस्वा में से प्रतिवादी सं0 05 ता 22 का हिस्सा 1/2 अर्थात 05 बिस्वा का प्रतिवादी सं0 19 ता 23 को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

जमाबन्दी में दर्ज नाम फतेहसिंह पुत्र बन्नेसिंह के स्थान पर महेन्द्र सिंह पुत्र बन्नेसिंह दुरूस्त किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.02.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

दि0 13/3/18

नोट:- डिक्री के बिन्दु सं0 02 में खसरा सं0 342 रकबा 73-19 बीघा में से 11-06 बीघा के स्थान पर 11-05 बीघा, बिन्दु सं0 3 में 11-06 बीघा के स्थान पर 11-05 बीघा, बिन्दु सं0 04 में 11-06 के स्थान पर 11-05 बीघा तथा बिन्दु सं0 01 में 11-06 बीघा के स्थान पर 11-05 बीघा पढ़ा व समझा जावें।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/245 दायर दिनाँक 01.09.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. गजेन्द्रसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी फोगडी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. चैनसिंह पुत्र दीपसिंह 2. हडमानसिंह उर्फ हनुमानसिंह पुत्र दीपसिंह 3. राजेन्द्रसिंह पुत्र दीपसिंह 4. भंवर कंवर बेवा दीपसिंह 5. सुगनसिंह पुत्र धन्नेसिंह 6. मूल सिंह पुत्र धन्नेसिंह 7. सदा कंवर बेवा जयसिंह 8. रघुवीरसिंह पुत्र जयसिंह 9. रिछपालसिंह पुत्र जयसिंह 10. अर्जुनसिंह पुत्र गणपतसिंह 11. भींवसिंह पुत्र गणपतसिंह 12. जोरसिंह पुत्र गणपतसिंह 13. मानसिंह पुत्र कालूसिंह 14. फुलसिंह पुत्र कालूसिंह 15. शिवसिंह पुत्र कालूसिंह 16. कानसिंह पुत्र कालूसिंह 17. प्रकाश कंवर पुत्री कालूसिंह 18. गुमान कंवर पत्नी कालूसिंह 19. उम्मेदसिंह पुत्र बन्नेसिंह 20. फतेहसिंह पुत्र बन्ने सिंह 21. दुर्गाकंवर पत्नी भवानीसिंह 22. मनीषा कंवर पुत्री भवानीसिंह नाबालिंग सरंक्षक मरतर दुर्गा कंवर समस्त जाति राजपूत निवासीगण फोगडी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 23. प्रबन्धक यूको बैंक शाखा डीडवाना 24. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act. & 136 L.R.Act.

उपस्थित :–

1. श्री रामेश्वरलाल भाकर, वकील, वादी।
2. श्री सुरेन्द्र पुरी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 22 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व-वाद, संख्या-2017/246
दायर दिनांक 01.09.2017, निर्णय दिनांक 05.02.2018
गजेन्द्रसिंह बनाम मैनसिंह, वगैरा।

—ः निर्णय ः—

दिनांक 05.02.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, संयुक्त अविभाजित एवं पैत्रिक कृषि भूमि खसरा सं0 172 रकबा 0.10 बीघा, खसरा सं0 332 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा, खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा, खसरा सं0 348 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 357 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 05 कुल रकबा 113 बीघा 05 बिस्वा ग्राम फोगडी में अवस्थित है। जिसके रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 22 चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 22 एक ही खानदान के सदस्य है। जिनकी वंशावली वाद के साथ पेश है। वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 22 सभी खुमानसिंह के पुत्रगण व धन्नसिंह व दीपसिंह के वारिसान है। जो मौके पर बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्सा में काबिज काश्त चले आ रहे है।

उपर वर्णित कृषि भूमियों में वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 ता 04 का 1/2 भाग अर्थात 56 बीघा 10 बिस्वा व प्रतिवादी सं0 05 ता 22 का हिस्सा 1/2 भाग अर्थात 56 बीघा 10 बिस्वा है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 05 व 06 का 1/2 भाग में 1/5 भाग अर्थात 11 बीघा 06 बिस्वा इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 07 ता 12 व 13 ता 18 व 19 ता 22 का हिस्सा 1/2 भाग में 1/5 – 1/5 अर्थात प्रत्येक का 11 बीघा 06 बिस्वा।

वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 22 के हिस्से में आई भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार है:—

1. वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 04 के हिस्से में आई भूमि खसरा सं0 332 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 357 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 348 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण तथा खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से 17 बीघा 13 बिस्वा संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क ए से प्रदर्शित तथा खसरा सं0 172 रकबा 10 बिस्वा में से दक्षिण तरफ का हिस्सा 05 बिस्वा कुल रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा
2. प्रतिवादी सं0 05 सुगनसिंह के हिस्से में आई भूमि खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क बी के अनुसार 11 बीघा 06 बिस्वा
3. प्रतिवादी सं0 06 मूलसिंह के हिस्से की भूमि खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क सी के अनुसार 11 बीघा 06 बिस्वा
4. प्रतिवादी सं0 07 ता 12 के हिस्से की भूमि खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क जी व एफ के अनुसार 11 बीघा 06 बिस्वा
5. प्रतिवादी सं0 13 ता 18 के हिस्से की भूमि खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क डी के अनुसार 11 बीघा 06 बिस्वा
6. प्रतिवादी सं0 19 ता 23 के हिस्से की भूमि खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क ई के अनुसार 11 बीघा 06 बिस्वा व खसरा सं0 172 रकबा 10 बिस्वा में से प्रतिवादी सं0 05 ता 22 का हिस्सा 1/2 अर्थात 05 बिस्वा।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकार्ड में महेन्द्र सिंह का नाम सहवन से फतेहसिंह दर्ज हो गया है। फतेहसिंह पुत्र बन्नेसिंह के स्थान पर महेन्द्र सिंह पुत्र बन्नेसिंह दर्ज किया जाना जाना न्यायोचित एवं प्रार्थनीय है। इस हेतु दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि वे वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 ता 04 की भूमि में किसी प्रकार के व्यवधान डालने, बेदखल करने इत्यादि के लिए सदैव तादौराने दावा पाबन्द किया जावें। इस हेतु यह स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश है।

प्रार्थना वादी है कि वाद में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 22 की पैतृक कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि का बंटवारा वाद में वर्णित बंटवारा अनुसार बंटवारा किया जावें तथा प्रतिवादीगण सं0 01 ता 22 इस आशय की घोषित की जावें कि वादी के कब्जा काश्त के खेतान में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा, रूकावट बेदखल इत्यादि न तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें।

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 24 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 23, 24 के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादी सं0 01 ता 22 ने इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी सं0 01 ता 22 ने इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का दावा वाद में वर्णित बंटवारा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

वाद के संलग्न, वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, ट्रेस नक्शा अनुसूची "अ", जमाबन्दी ग्राम फोगडी सम्वत् 2072–2075 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि, है।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

दावा में वर्णित मौखिक बन्ट अनुसार पक्षकारान् दावा डिक्री करवाने में अपनी सहमति देते हैं। दावा का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। इकबालिया जवाब अनुसार पक्षकारान् के परिप्रेक्ष्य व दावा में वर्णित पक्षकारान् मौखिक बन्ट के अनुसार खातेदारी घोषित किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

इस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, वादग्रस्त भूमि की वर्तमान खातेदारी के स्थान पर,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:-

1. वाके सरहद फोगडी के खसरा सं0 332 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 357 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण, खसरा सं0 348 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण तथा खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से 17 बीघा 13 बिस्वा संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क ए से प्रदर्शित तथा खसरा सं0 172 रकबा 10 बिस्वा में से दक्षिण तरफ का हिस्सा 05 बिस्वा कुल रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा का वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 04 को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. वाके सरहद फोगडी के खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क बी के अनुसार 11 बीघा 06 बिस्वा का प्रतिवादी सं0 05 सुगनसिंह को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. वाके सरहद फोगडी के खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क सी के अनुसार 11 बीघा 06 बिस्वा का प्रतिवादी सं0 06 मूलसिंह को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. वाके सरहद फोगडी खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क जी व एफ के अनुसार 11 बीघा 06 बिस्वा का प्रतिवादी सं0 07 ता 12 को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. वाके सरहद फोगडी के खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क डी के अनुसार 11 बीघा 06 बिस्वा का प्रतिवादी सं0 13 ता 18 को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. वाके सरहद फोगडी के खसरा सं0 342 रकबा 73 बीघा 19 बिस्वा में से संलग्न ट्रेस नक्शा में मार्क ई के अनुसार 11 बीघा 06 बिस्वा व खसरा सं0 172 रकबा 10 बिस्वा में से प्रतिवादी सं0 05 ता 22 का हिस्सा 1/2 अर्थात 05 बिस्वा का प्रतिवादी सं0 19 ता 23 को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

जमाबन्दी में दर्ज नाम फतेहसिंह पुत्र बन्नेसिंह के स्थान पर महेन्द्र सिंह पुत्र बन्नेसिंह दुरूस्त किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **05.02.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

नोट:- निर्णय के बिन्दु सं0 02 में खसरा सं0 342 रकबा 73-19 बीघा में से 11.06 बीघा के स्थान पर 11.05 बीघा, बिन्दु सं0 03 में 11.06 बीघा के स्थान पर 11.05 बीघा, बिन्दु सं0 04 में 11.06 बीघा के स्थान पर 11.05 बीघा तथा बिन्दु सं0 06 में 11.06 बीघा के स्थान पर 11.05 बीघा पढ़ा व समझा जावे। दिनांक :- 13/3/2018

सहायक कलक्टर